(151)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

RS492-II/16

Rs-301

1- कामता प्रसाद तनय सरस्वती प्रसाद उम्र 67 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम -लोहदबार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

2- बृजकुमार तनय स्व0 श्री शीतला प्रसाद अवस्थी निवासी ग्राम -लोहदबार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

3- आकाश अवस्थी तनय स्व0 श्री रजनीश अवस्थी उम्र 13 वर्ष

4- प्राची अवस्थी पुत्री तनय स्व0 श्री रजनीश अवस्थी उम्र 11 वर्ष

5- प्रिया अवस्थी पुत्री तनय स्व0 श्री रजनीश अवस्थी उम्र 09 वर्ष

6- शनि अवस्थी तनय स्व0 श्री रजनीश अवस्थी उम्र 07 वर्ष क्रमशः 3 ता 6 सभी नवालिग संरक्षक चाचा बृजकुमार अवस्थी तनय स्व0 श्री शीतला प्रसाद अवस्थी

निवासी ग्राम -लोहदबार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 ....**निगरानीकर्तागण**

आवेदन श्री कामता प्रसाद द्वारा पेश 15.11.16

राजस्व मण्डल ... रीवा

बनाम

1- राजेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 श्री शीतला प्रसाद

2- तीरथ प्रसाद तनय स्व0 श्री रामकिशोर अवस्थी

3- शेषमणि तनय स्व0 श्री रामकिशोर अवस्थी

4- शेषमणि तिवारी तनय रामनिवास अवस्थी

5- धनपति साहू तनय एमधनी साहू

निगरानी विरूद्ध आज्ञा श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1423/अपील/15-16 आदेश दिनांक 22/09/16 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विरूद्ध होने से आलोच्य आदेश दिनांक 22/09/16 काबिल निरस्तगी के है।

2- यह कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 57/अ-27/05-06 आदेश दिनांक 31/03/2016 के विरूद्ध अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 मे दो अपील थी पहली अपील कामता प्रसाद तनय सरस्वती प्रसाद विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद के व अन्य प्रकरण क्रमांक -38/अ27/08-09 तथा नागेश्वर प्रसाद व अन्य बनाम राजेन्द्र प्रसाद प्रकरण क्रमांक 37/अ27/08-09 था जिन दोनो प्रकरणो का इकट्ठा करने का आदेश माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 मे आदेश दिनांक 14/11/2011 को हुआ तब से दोनो प्रकरण एक साथ-साथ चलने लगे। उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा काफी विरोध तथा आवेदन दिया था। जिसे अलग-अलग नही किया गया था तथा धारा 5 म्याद अधिनियम के जबाव व तर्क हेतु नियत हुआ।

3- यह कि धारा 5 म्याद बिन्दु पर तर्क सुने गये आदेश दिनांक 08/06/2016 को हुआ जिसमे अपील समय सीमा मे नही माना तथा कहा कि निगरानीकर्ता क्रमांक 2 के पिता पक्षकार थे तथा निगरानीकर्ता के पिता शीतला प्रसाद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका मे हस्ताक्षर किये है, और उनकी सहमति से आदेश किये है। और उनकी सहमति से आदेश पारित हुआ है। और यदि उन्हे उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5492–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1423/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.9.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य बिन्दु धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन निरस्त किया गया है जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत जो उनके द्वारा दिनांक 22.9.16 को निरस्त कर दिया गया उसी से दुखित होकर इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 जिला रीवा द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि आदेश दिनांक 31.3.06 की जानकारी दिनांक 5.2.09 को हुई जिसे धारा–5 का आवेदन बिलंव मांफ नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें	

विलंब मांफ किया जा सकें, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है तथा उसी आदेश को अपर आयुक्त रीवा द्वारा पुष्टि की गई है। अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 1423/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.9.16 स्थिर रखा जाता है, तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य